

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 11.06.2022

शातिर वाहन चोर एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम, मादक पदार्थों के व्यापार के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11 जून 2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उपनिरीक्षक भीम सिंह द्वारा चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त मनीष कुमार कश्यप पुत्र श्यामबिहारी निवासी अशोक नगर बसारतपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 151/2022 धारा 379,411,427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष कुमार कश्यप पुत्र श्यामबिहारी निवासी अशोक नगर बसारतपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर

बरामदगी:-

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु.अ. सं. 276/21 धारा 379 411 भारतीय दंड विधान थाना शाहपुर गोरखपुर
- 2- मु.अ.सं. 1339/16 धारा 8/21/22 एन डी पी एस एक्ट थाना जीआरपी गोरखपुर।
- 3- मु.अ. सं. 436/15 धारा 8/22 एन डीपीएस एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर
- 4- मु.अ. सं. 438/21 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना शाहपुर गोरखपुर
- 5- मु.अ. सं. 151/22 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1- उपनिरीक्षक भीम सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- कां. अश्वनी कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- कां. दीपक कुशवाहा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर